रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112020-223075
CG-DL-E-13112020-223075

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942
No. 486] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

सं-.एन12-/13/1/2019.यो-एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सं. एन-12/13/2016-पी एंड डी, दिनांक 04.02.2019 के माध्यम से भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4, क्रम सं.67 में प्रकाशित अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नामक राहत को अधिसूचित किया था। इस राहत को 24/3/2020 से 31/12/2020 तक की अवधि के दौरान की राहत-दर में वृद्धि तथा पात्रता-शर्तों में शिथिलता के साथ 01/07/2020 से 30/06/2021 तक की अवधि के लिए विस्तारित किया गया जो कि भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4, क्रम सं. 436 में 16/10/2020 को प्रकाशित हुई।

अब यह निर्णय किया गया है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत राहत का दावा करने के लिए शपथ-पत्र प्रपत्र में दावा प्रस्तुत करने की शर्त को शिथिल किया जाए। प्रपत्र एबी-1 (संलग्नक) में शपथ-पत्र में दावा प्रस्तुत करने की अपेक्षा को समाप्त करना प्रस्तावित है। अत: निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित हैं :-

1. दिनांक 04/02/2020 की अधिसूचना के खंड (6) में "शपथ-पत्र" शब्द का लोप किया जाएगा।
2. उसके खंड (6) में संदर्भित प्रपत्र एबी-1 (संलग्नक) में "20/- रूपये के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर में तैयार किया जाए" शब्दों का लोप किया जाएगा।

इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से तीस(30) दिनों की अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विचार किया जाएगा। कोई आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, तो वे श्री एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002(ईमेल आईडी:dir-pnd@esic.nic.in) को प्रेषित किए जाएँ।

एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त

[विज्ञापन III/4/असा./350/2020-21]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2020

No N-12/13/01/2019-P&D.—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (1) of Section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation had notified a relief namely Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana published in the Gazette of India, Extraordinary Part III section 4 Sl. No 67 vide no. N-12/13/1/2016-P&D dated 04.02.2019. The relief was extended for the period 01.07.2020 to 30.06.2021 along with enhancement of rate of relief and relaxation in the eligibility conditions during the period 24.03.2020 to 31.12.2020 published in the Gazette of India, Extraordinary Part III Section 4 Sl. No 436 on 16.10.2020.

Now it has been decided to relax the condition of submitting claim for relief under Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana in affidavit form for claiming this relief. The requirement of furnishing claim in an affidavit in form AB-1 (annexure) is proposed to be dispensed with. The following amendments are proposed: -

i. In the notification dated 04.02.2020, in clause (6) the words "an affidavit" shall be omitted.

ii. In the form AB-I (Annexure) referred in clause (6) therein the words "to be prepared on Rs. 20/- non-judicial stamp-paper" shall be omitted.

Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of notification within a period od thirty (30) days from the date of publication, will be considered by the Employees' State Insurance Corporation. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri S Biswas, Insurance Commissioner, Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi 110002 (e-mail Id: dir-pnd@ esic.nic.in)

S. BISWAS, Insurance Commissioner

[Advt.-III/4/Exty./350/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA